प्रेस सूचना ब्यूरो
भारत सरकार
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

02-अगस्त -2016 15:49 IST

कृषि क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में कुल महिला श्रमिकों का पचहत्तर प्रतिशत (65%) कृषि में संलग्न है। कुल काश्तकारों (118.7 मिलियन) में से 30.3% महिलाएं हैं। 144.3 मिलियन कृषि श्रमिकों में से 42.6% महिलाएं हैं। 2001 में, महिला कृषि मजदूर 21% थे जो 2011 में बढ़कर 23% हो गए।

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग कृषि क्षेत्र में महिलाओं सहित किसानों के विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है। महिला घटक योजना के निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे महिला किसानों के लाभ के लिए धन का प्रवाह 30% तक सुनिश्चित करें।

कृषि प्रसार पर उप-मिशन (एसएमएई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तेल बीज पर राष्ट्रीय मिशन और तेल पाम और राष्ट्रीय कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, उप-मिशन के तहत विस्तार सुधार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों के समर्थन जैसे केंद्र प्रायोजित योजना / मिशन के दिशानिर्देश। - बीज और रोपण सामग्री, कृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशन और बागवानी के विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच) निर्धारित करते हैं कि राज्यों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को महिला किसानों पर कम से कम 30% खर्च करना आवश्यक है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित "महिला किसान सशक्तिकरण योजना (MKSP)" का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका के सृजन और रखरखाव के साथ-साथ व्यवस्थित निवेश करके कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाना है। परियाजना के तहत, परियोजनाओं की कल्पना इस तरह से की जाती है कि कृषि में महिलाओं के कौशल आधार को बढ़ाया जाता है ताकि वे अपनी आजीविका को स्थायी आधार पर आगे बढ़ा सकें।

कृषि क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों को तालिका में नीचे रखा गया है।

कृषि में महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में शामिल हैं:

1. **विस्तार सुधार के लिए राज्यों को विस्तार कार्यक्रम के लिए** केंद्र प्रायोजित योजना **सहायता के** तहत, महिला किसानों और महिला विस्तार अधिकारियों के लिए कार्यक्रमों और गतिविधियों पर न्यूनतम 30% संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करके कृषि में लिंग संबंधी चिंताओं को मुख्य रूप से संबोधित किया जा रहा है। योजना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिला किसानों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, योजना के दिशानिर्देशों के तहत ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर किसान सलाहकार समिति में उनका प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।

2. के तहत **पर बीज और रोपण सामग्री (SMSP) उप मिशन,** प्रशिक्षण योजना बीज ग्राम कार्यक्रम और बीज, जिसमें महिलाओं किसानों को समान रूप से लाभान्वित कर रहे हैं की गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था के घटकों के तहत प्रदान की जाती है। राज्य सरकारों को भी सलाह दी जाती है कि वे महिला किसानों को पर्याप्त धनराशि आवंटित करें।

3. 28 राज्यों में लागू **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के** तहत, महिला किसानों के लिए फंड के आवंटन का 30% हिस्सा रखा जा रहा है। फसलों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए बेहतर तकनीक पर जागरूकता पैदा करने के लिए

SC, ST और महिला किसानों सहित फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले NFSM के अंतर्गत एक हस्तक्षेप भी है। राज्य सरकारें गाइडलाइन के प्रावधानों के अनुसार NFSM को लागू कर रही हैं।

4. **तिलहन और तेल पाम (NMOOP) पर राष्ट्रीय मिशन के** तहत , बजट का 30% आवंटन महिला लाभार्थियों / किसानों के लिए निर्धारित किया जा रहा है। चिंतित कार्यान्वयन एजेंसियां इन घटकों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगी अर्थात SC / ST / महिला लाभार्थियों के लिए संसाधनों का आवंटन और उसी के लिए डेटाबेस का रखरखाव।

5. **कृषि यांत्रिकीकरण (एसएमएएम) पर उप-मिशन के** तहत, आईसीएआर द्वारा विकसित कृषि में महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी को कम करने वाले 31 ड्रग को प्रशिक्षण, प्रदर्शन और वित्तीय सहायता के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। महिला लाभार्थियों को विभिन्न कृषि मशीनों और उपकरणों की खरीद के लिए 10% अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान नियमित रूप से महिला किसानों के लिए कृषि मशीनीकरण पर प्रशिक्षण आयोजित करते हैं और वर्ष 2014-15 में 936 महिला किसानों को प्रशिक्षित किया गया।

6. **राष्ट्रीय बागवानी मिशन के** तहत , महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जाता है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि आदान और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

7. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने देश में 645 कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) का एक नेटवर्क स्थापित किया है, जिसका लक्ष्य प्रौद्योगिकी / उत्पादों के मूल्यांकन और प्रदर्शन और किसानों को उनके अद्यतन के लिए प्रशिक्षण के विस्तार कार्यक्रमों की संख्या के माध्यम से प्रसार करना है। ज्ञान और कौशल। केवीके द्वारा ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित उन्नत तकनीकों पर आयोजित किए जाते हैं और किसानों को फसल उत्पादन और कृषि आय में सुधार के संदर्भ में लाभान्वित किया है। 2015-16 के दौरान, ग्रामीण महिलाओं के तकनीकी सशक्तीकरण से संबंधित 205 महिलाओं की विशिष्ट आय सृजन प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें 394 स्थानों का मूल्यांकन किया गया, जो कि विषयगत क्षेत्रों के अंतर्गत 2917 परीक्षणों को कवर करते हैं, जैसे कि ड्रगरी रिडक्शन, फार्म मशीनीकरण, स्वास्थ्य और पोषण, प्रसंस्करण और मूल्य।

इसके अलावा, उत्पादन और प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण, छोटे पैमाने पर आय सृजन और भंडारण तकनीक। प्रमुख उद्यमों में मशरूम, सेरीकल्चर, वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन, पोषण उद्यान आदि शामिल थे। 339681 किसानों को फसल उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया।

8। ICAR- कृषि में महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय कृषि संस्थान (ICAR-CIWA) सबसे आगे रहा। इसमें विभिन्न प्रौद्योगिकी आधारित थीम क्षेत्रों में भागीदारी कार्रवाई अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिसमें ग्रामीण महिलाओं को महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकियों की उपयुक्तता का परीक्षण करना और उनके शोधन का सुझाव देना शामिल है। संस्थान अपने कार्यक्रमों में कृषि महिला दृष्टिकोण लाने के लिए अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को उत्प्रेरित करने और उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए भी काम कर रहा है। कृषि में महिलाओं को मुख्य धारा में लाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए, एकीकृत कृषि प्रणाली, आईपीएम, ड्रगरी, पशुधन और मत्स्य पालन, विस्तार पद्धति और लिंग सूचकांकों आदि के क्षेत्रों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। घरेलू सहित विभिन्न कृषि कार्यों में खेत की महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले ड्रगरी को आवश्यक मापदंडों पर मात्रात्मक डेटा के साथ संबोधित किया जा रहा है और महिलाओं के अनुकूल कृषि उपकरणों और उपकरणों को डिजाइन / परिष्कृत किया जा रहा है। यह महिलाओं के महत्वपूर्ण संसाधनों, कार्यक्रमों और सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए लैंगिक संवेदनशील दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली पर भी काम कर रहा है जो कृषि में महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। चूंकि कृषि में महिलाएं अनुसंधान का एक नया क्षेत्र है, सभी हितधारकों की क्षमता निर्माण का विकास अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों / प्रबंधकों, शिक्षकों और केवीके के वैज्ञानिकों / एसएमएस के लिए संवेदीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है जो आईसीएआर से

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेत महिला सशक्तिकरण से जुड़े हैं। -देश में विभिन्न स्थानों पर -सीडब्लूए। कार्यक्रम और सेवाएं जो कृषि में महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। चूंकि कृषि में महिलाएं अनुसंधान का एक नया क्षेत्र है, सभी हितधारकों की क्षमता निर्माण का विकास अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों / प्रबंधकों, शिक्षकों और केवीके के वैज्ञानिकों / एसएमएस के लिए संवेदीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है जो आईसीएआर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेत महिला सशक्तिकरण से जुड़े हैं। -देश में विभिन्न स्थानों पर -सीडब्लूए। कार्यक्रम और सेवाएं जो कृषि में महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। चूंकि कृषि में महिलाएं अनुसंधान का एक नया क्षेत्र है, सभी हितधारकों की क्षमता निर्माण का विकास अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों / प्रबंधकों, शिक्षकों और केवीके के वैज्ञानिकों / एसएमएस के लिए संवेदीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है जो आईसीएआर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेत महिला सशक्तिकरण से जुड़े हैं। -देश में विभिन्न स्थानों पर -सीडब्लूए।

यह जानकारी आज लोकसभा में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रुपाला ने दी।

एस एस / ए

****